पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र /2008/ 0910009 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(चेकपोस्ट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 20 अप्रैल 2009

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0 नु0शा0/अपील)/
ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0 नु0शा0/अपील/30न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)
डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी ,
वाणिज्य कर उ0प्र0 ।

Key word 1-47-IMPORT / Verification Forms/ Penalty

दिनांक 01-08-08 से प्रदेश में पूर्व में संचालित 83 जांच चौकियों के स्थान पर 46 जांच चौकियों का संचालन पूर्णतया बन्द करते हुए केवल 37 जांच चौकियों को संचालित रखते हुए इन पर केवल बहती जारी / खारिज करने तथा स्वत: घोषणा के अन्तर्गत धनराशि जमा कराये जाने की व्यवस्था रखी गयी थी । पूर्व में प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने पर कार्यरत जांच चौकियों पर आयात घोषणा पत्रों को पृष्ठांकित कराये जाने की प्रक्रिया को बन्द करके आयात घोषणा पत्रों की मूल प्रतियों के साथ-साथ माल की डिलीवरी रिसीट, बिल्टी तथा बिल / चालान की स्वत: प्रमाणित छायाप्रतियां सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में मासिक / साप्ताहिक / दैनिक रूप से जमा करने के संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-ज्वा0कमि0(चे0पो0)मु0जॉचचौकी//08-09// 740 // वाणिज्य कर दि0 23-7-08 तथा परिपत्र संख्या-ज्वा0कमि0 (चे0पो0)मु0जॉचचौकी / 08-09// 0809054 // वाणिज्य कर दि0 20-8-08 एवं ज्वा0कमि0(चे0पो0)मु0जॉचचौकी / 08-09// 0809064 // वाणिज्य कर दि0 19-9-08 से दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में व्यापारियों के प्राप्त प्रत्यावेदनों के क्रम में प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी वाणिज्य कर वर्किंग ग्रुप की बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह निर्देश दिये गये हैं कि बड़ी कम्पनियों के सम्बन्ध में चालान, बिल्टी आदि की प्रतियां प्राप्त करने के स्थान पर फार्म 38 का एक प्रारूप बना लिया जाये और उसी में उपर्युक्त अभिलेखों के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त की जायें ।

शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में परिपत्र संख्या- 740 दि0 23-7-08 एवं परिपत्र संख्या- 0809054 दि0 20-8-08 एवं परिपत्र संख्या- 0809064 दि0 19-9-08 से में आंशिक संशोधन करते हुए प्रदेश की ऐसी बड़ी कम्पनियां जिनका वार्षिक विक्रय धन रू0 01 करोड़ से अधिक है, से फार्म 38 की मूल प्रतियों के साथ माल की डिलीवरी रिसीट, बिल्टी तथा बिल / चालान की स्वत: प्रमाणित छायाप्रतियां जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसी बड़ी कम्पनियों द्वारा प्रान्त बाहर से माल आयात करने पर उनके द्वारा मूल फार्म 38 की प्रतियों के साथ निम्नलिखित प्रारूप में संलग्नक के रूप में सूचनाएं प्राप्त कराई जायेंगी :-

क्रेता व्यापारी का नाम व पता
आयात घोषणा पत्र (फार्म-38)....................................से आयातित किये जा रहे माल का विवरण

क्रम सं0	जी0 ार0सं0	माल के पारेष नाम व पता	बिल सं0 व	माल का विवरण			
				वस्तु का नाम	माल की मात्रा /परिमा	नगो की सं0	वस्तु का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि उपरोक्त सूचनायें मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण हैं ।

क्रेता व्यापारी / अधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर व प्रास्थिति

दिनांक :-

निर्देश दिये जाते हैं कि कृपया परिपत्र संख्या- 740 दि0 23-7-08 एवं परिपत्र संख्या- 0809054 दि0 20-8-08 एवं परिपत्र संख्या- 0809064 दि0 19-9-08 से जारी निर्देशों को उपरोक्तानुसार संशोधित मानते हुए उपर्युक्त निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । ऐसी बड़ी कम्पनियों द्वारा प्रान्त बाहर से माल आयात करने पर फार्म 38 की मूल प्रतियों के साथ माल की

डिलीवरी रिसीट, बिल्टी तथा बिल / चालान की स्वत: प्रमाणित छाया प्रतियां यदि जमा नहीं की जाती है तो उन्हें इसके लिए बाध्य न करते हुए उनसे मूल फार्म 38 की प्रतियों के साथ उपर्युक्त प्रारूप में संलग्नक के रूप में प्रेषित की गयी सूचना को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपर्युक्त निर्देश दिनांक ---------------- से प्रभावी होंगे।

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष / निबन्धन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर , लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ0प्र0
4. प्रबन्धक , इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
5. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
6. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0 ाडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद
8. विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
9. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड,गणेश गंज, लखनऊ।
10. अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ।
11. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल,87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे, कानपुर
12. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66 शास्त्री नगर, लखनऊ।
13. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ
14. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर।
15. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्ड0 4/180, विशाल खएड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ
16. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड,लखनऊ।
17. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ।
18. आल इडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इंण्डस्ट्रीयल एरिया,गाजियाबाद।
19. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंड0एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
20. राज्यस्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधितज्वाइन्टकमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से
21. उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
22. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर , गाजियाबाद।
23. श्रीमती इन्दु मिश्रा ,इन्दु पब्लिकेशनस , RDC-51 राजनगर , गाजियाबाद।
24. श्री मदनमोहन भारतीय , एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणउ0प्र0शासन , 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर।
25. प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड़, 15,टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
26. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर।
27. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर1
28. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
29. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर।
30. इन्डियन इंड0एसो0 , 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।

31. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
32. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा।
33. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर
34. श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
35. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर।
36. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ।
37. श्री अरुण कुमारअवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीयउद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ
38. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहाकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
39. श्री गोपाल अग्रवाल , राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडियाउद्योग व्यापाारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
40. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड,अमीनाबाद, लखनऊ।
41. अध्यक्ष, आई0 ाई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ।
42. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ।
43. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस।
44. समस्त अनुभाग / अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
45. चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियॉ अतिरिक्त।

(वी0 पी0 श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।